भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †904

सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

भारत को विश्व का पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने की योजना

†904. श्री रमेश बिधूड़ीः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आने वाले वर्षों में भारत को विश्व का पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोविड काल के बाद देश के पर्यटक उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करने और पर्यटक गंतव्यों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

i. देश में पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना।

ii. चिह्नित तीर्थस्थलों के एकीकृत विकास हेतु राष्ट्रीय तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) संबंधी राष्ट्रीय मिशन योजना।

iii. विरासत स्थलों/स्मारकों और अन्य पर्यटक स्थलों पर पर्यटक सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए एक विरासत को अपनाएं परियोजना।

iv. 24x7 टॉल फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन।

v. 156 देशों के नागरिकों के लिए 5 उपश्रेणियों यथा ई-पर्यटक वीज़ा, ई-बिजनेस वीज़ा, ई-मेडिकल वीज़ा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा तथा ई-सम्मेलन वीज़ा के लिए ई-वीज़ा की सुविधा प्रदान करना।

vi. ई-वीज़ा का और अधिक उदारीकरण किया गया है और वीज़ा शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की गई है।

vii. अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन कार्यक्रम नामक एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य पूरे देश में पर्यटकों को सहायता देने हेतु अच्छी तरह प्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं का एक संवर्ग तैयार करना है।

viii. बेहतर सेवा मानक प्रदान करने के लिए श्रमशक्ति के प्रशिक्षण और उन्नयन हेतु 'सेवाप्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण' (सीबीएसपी) योजना के तहत कार्यक्रमों का आयोजन।

ix. देश में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण/ट्रैकिंग हेतु नई पर्वत चोटियां खोली गई हैं।

x. पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए 1001 रु. से 7500 रु. प्रति रात्रि के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को घटाकर 12% और 7501 रु. से अधिक के टैरिफ वाले कमरों पर जीएसटी को 18% कर दिया गया।

xi. पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा आरसीएस उड़ान योजना के तहत चिह्नित एयर लाइनों को 59 पर्यटन रूट सौंपे गए हैं जिसके लिए पर्यटन मंत्रालय ने वीजीएफ (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। अद्यतन स्थिति के अनुसार इनमें से 51 रूटों पर प्रचालन शुरू हो गया है।

(ग) और (घ): भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वित्तीय और गैर वित्तीय उपाय निम्नलिखित हैं, जिनसे देश में पर्यटन का पुनरुद्धार होने की आशा की जाती है :

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है । ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने की ऋण-स्थगन अवधि होगी ।

ii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

iii. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगन, बाकी के लिए @9 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज के साथ ।

iv. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया।

v. अक्टूबर 2020 तक स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) का आस्थगन।

vi. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है।

vii. भारत सरकार ने 31.03.2021 को पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.0 शुरू की है। आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया है। आतिथ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रु. की अतिरिक्त संचयी निधि का प्रावधान भी किया गया है। ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 31.03.2023 तक या 5 लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है।

| आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) होटल, रेस्तरां, पर्यटन के **30.06.2022** तक के आंकड़े | | | |
|---|---|---|---|
| उद्योग की प्रकृति | ईसीएलजीएस योजना | जारी की गई गारंटी की संख्या | गारंटी की गई ऋण राशि **(**करोड़ रु में**)** |
| होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन | ईसीएलजीएस 1.0 | 96734 | 3668.59 |
| | ईसीएलजीएस 1.0 विस्तार | 1041 | 202.13 |
| कुल | | 97775 | 3870.72 |
| होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन | ईसीएलजीएस 2.0 | 219 | 3421.46 |
| | ईसीएलजीएस 2.0 विस्तार | 4 | 34.47 |
| कुल | | 223 | 3455.93 |
| यात्रा और पर्यटन | ईसीएलजीएस 3.0 | 2926 | 1880.57 |
| | ईसीएलजीएस 3.0 विस्तार | 567 | 342.67 |
| कुल | | 3493 | 2223.24 |
| आतिथ्य | ईसीएलजीएस 3.0 | 3478 | 6154.45 |
| | ईसीएलजीएस 3.0 विस्तार | 1120 | 1781 |
| कुल | | 4598 | 7935.45 |

| | | |
|---|---|---|
| कुल योग | 106089 | 17485.34 |

viii. 28 जून, 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास तथा रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की । पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं।

ix. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके।

x. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ''साथी'' (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।

xi. होटलों और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणन की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

xii. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप पर्यटन मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से व्यवसाय की निर्बाध बहाली के लिए पर्यटन हितधारकों, होटलों और रेस्तरां को दिशानिर्देश/निर्देश जारी करता है।

xiii. पर्यटन मंत्रालय ने "कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस)" लागू की है। इस ऋण गारंटी योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंट/पर्यटन परिवहन ऑपरेटरों को 1.00 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन से अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्षेत्रीय पर्यटक गाइड/अतुल्य भारत पर्यटक गाइड और पर्यटक गाइड को 1.00 लाख रु. तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।

एलजीएससीएटीएसएस का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपर्युक्त लाभार्थियों को प्रदान किए गए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना है, ताकि उनकी देनदारियों का निर्वहन किया जा सके और कोविड -19 महामारी के कारण प्रभावित उनके व्यवसाय को फिर से शुरू किया जा सके। उक्त योजना की वैधता 31.03.2022 तक अथवा योजना के तहत 250.00 करोड़ रुपये जारी किए जाने की गारंटी, जो भी पहले हो, तक है और 04.10.2021 को

या उसके बाद योजना के तहत स्वीकृत सभी पात्र ऋणों पर 31.03.2022 तक लागू होगी [राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा एलजीएससीएटीएसएस जारी दिशानिर्देश]। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं के लिए एनसीजीटीसी द्वारा धन उधार देने वाले संस्थानों (एमएलआई) से कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह योजना 18 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से प्रचालनरत है।

******